



लेख्यप्रकार :- विक्रय पत्र केवाला बैयला कलामी।

मूल्य :- मोवलग 12,00,000/- बारह लाख रूपये मात्र।

सलाना माल :- मोवलग 10 दस पैसा सलाना अलावे शेष।

भूस्वामी :- झारखण्ड सरकार अंचल कोडरमा अन्दर नगर पर्षद झुमरी तिलैया वार्ड नं0 01 तौजी नं0-28 अठाईस।

सम्पति :- मवाजी रकवा 7.16 सात दशमलव एक छः डीसमील जमीन अन्य मार्ग पर स्थित आवासीय हकियत रैयती कायमी वो खरीदगी वो दखली वाके मौजा तिलैया, थाना तिलैया थाना नं0 244, वार्ड नं0 01 अंदर खाता नं0 944 नौ सौ चौवालीस प्रगना गुमो सब रजिस्ट्री वो जिला रजिस्ट्री वो जिला कोडरमा।

यह कि उपरोक्त खाते कि संपत्ति की प्राप्ति मन लेख्यकारी के खुद नाम से हासिल वजरीये रजिस्ट्री केवाला के द्वारा खरीदगी नवीस्ते महावीर प्रसाद दारुका पिता स्व0 राम गोपाल दारुका साकिन मौजा झुमरी तिलैया, थाना तिलैया रजिस्ट्री ऑफिस कोडरमा से हासिल कर दखलकार होकर वो रहकर अंचल कार्यालय कोडरमा से साल वो साल माल गुजारी सरकारी रसीद हासील करते चले आ रहे हैं। जिसका बिक्रय पत्र दस्तावेज संख्या 3401 ब तारीख 25.05.2010 ई0 है। जिसका बुक नं0 1 भो0 नं0 98, पेज नं0 119 से 132 तक है।

तथा वर्तमान में अंचल कार्यालय कोडरमा के रजिस्टर II के पृष्ठ सं0 115 भो0 44 में लेख्यकारी के खुद नाम से जमाबंदी दर्ज है, जिसका एक सरकारी मालगुजारी रसीद सं0 है JB/41-4689778 दिनांक 11.06.2011 ई0 है, तथा ऑनलाईन का रीसीप्ट नं0 1507553127 दिनांक 09.10.2017 ई0 है। दाखील खरीज केस नं0 676/2011-12 ई0 है। होल्डींग नं0 0010000650000M0 हैं।

सो मन लेख्यकारी कायम काबिज दखलकार होकर वो रहकर अपना खरीदगी जमीन आज तारीख में साथ लेख्यधारी के बिक्री करते हैं। बिक्री भूमि का नक्शा केवाला के साथ संलग्न है जिसमें बिक्रय जमीन को नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है बिक्री संपत्ति गैर मजरुआ नहीं है।

केवाला कलामी  
1-2-18

शुद्ध

द्वारा रजक  
श्री श्री जालिखर रजक  
गोपाल केवाला नगर  
के भोखी पावर खब-बिखान  
झुमरी तिलैया, कोडरमा।  
1-2-18

## बिक्री भूमि का विवरण

मौजा तिलैया, थाना-तिलैया, वार्ड नं0 01, थाना नं0-244, अंदर नगर पर्वद झुमरी तिलैया, प्रगना-गुमो, सब रजिस्ट्री वो जिला रजिस्ट्री वो जिला कोडरमा।

### 1. अंदर खाता नं0 944 नौ सौ चौवालीस।

1. प्लॉट नं0 3999 तीन हजार नौ सौ निनानवे हासील रकवा मधे बिक्री रकवा 7.16 सात दशमलव एक छः डी0 जमीन है।

जिसका चौहदी इस प्रकार है : उत्तर- प्लॉट नं0 3999 का पार्ट रास्ता 20 फीट कच्चा, पूरब- प्लॉट नं0 3999 का पार्ट संजय कुमार, दक्षिण- प्लॉट नं0 3999 का पार्ट मधुसुदन दारूका वगैरह पश्चिम- प्लॉट नं0 3999 का पार्ट उमेश कुमार विश्वकर्मा वाके है। जिसका पैमाइस माप AtoB=52'0", BtoC=60'0", CtoD=52'0", DtoA=60'0" है।

कमला देवी  
1-2-18

जमा खाता-1 जमा प्लॉट-1 जमा रकवा 7.16 सात दशमलव एक छः डी0 जमीन वाके है।

विवरण :- यह कि लेख्यकारी अपने उपरोक्त संपत्ति को बिक्री करना चाहते थे, पता लगने पर लेख्यधारी खरीदने को तैयार हो गये तब चन्द मानिन्द व्यक्तियों के बीच उपरोक्त संपत्ति का वाजिब मूल्य मोवलगा 12,00,000/- बारह लाख रुपया में तय हुआ जो कि लेख्यकारी ने लेख्यधारी से चेक संख्या 816403 दिनांक 10.01.2018 ई0 को झारखण्ड ग्रामिण बैंक शाखा झुमरी तिलैया के द्वारा 12,00,000/- बारह लाख रुपया प्राप्त कर मवाजी रकवा 7.16 सात दशमलव एक छः डीसमील जमीन बेचे वो बैयला कलामी किये। वो दखलकार गरदाना वो खाश दखल दे दिये वो हमेशा के लिए सुपुर्द किये।

जिस प्रकार का हक हकूक दावा दखल वो वास्ता सरोकार लेख्यकारी मय वारीसान का था या आइन्दा होता सो सभी प्रकार का हक हकूक दावा दखल वास्ता सरोकार लेख्यधारी के हवाले किये।

अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी खरीदगी जमीन को अंचल कार्यालय में अपने नाम से दाखिल खारिज कराकर साल वो साल मालगुजारी सरकारी रसीद हासिल किया करें।

उपरोक्त खरीदगी सम्पत्ति पर लेख्यधारी खाश दखलकार होकर वो रह कर अपने भोग वो तसरुफ में दर लाया करे। चाहे लेख्यधारी उपरोक्त सम्पत्ति को रेहन रखे, कम्पाउन्ड, दिलावे, मकान बनावे, कुआँ खुदवावे, बाग बगीचा लगवाएं वैय बिक्री करें।

चाहे जिस सावील से अपना फायदा वो मुनासिब समझे अपने भोग वो तसरुफ में दर लाया करे। इसमे हम लेख्यकारी मय वारीसान को किसी प्रकार का उजूर वो ईतराज नहीं है न कभी भविष्य में होगा।

बिक्री की गई संपत्ति सभी तरह के वारदेन से पाक वो साफ है अगर किसी तरह का वारदेन पाया गया तो उसका कुल हारजाना के साथ देनदार हम लेख्यकारी मय वारीसान होंगे वो हैं।

बिक्री की गई संपत्ति का कुल किमत तमाम कमाल वसुल पाया। खर मोहरा जिम्मे लेख्यधारी के पास कुछ भी बाकी नहीं रहा और न ही कब्ज वसूली रसीद की जरूरत रही।

इसलिए हम लेख्यकारी आज तारीख में राजी खुशी वो आनन्द मन से यह बिक्रय पत्र केवाला हाजा लिख दिया ताकि समय पर काम आवे। मुकाम कोडरमा तारीख 01.02.2018 ई0 ।

**नोट :** हम लेख्यकारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सी0एन0टी0 एक्ट एवं 51 प्रतिबंधित पिछडी जातियों की सूचि से बाहर है।

**प्रारूपकर्ता :-** बिनोद कुमार ताईद ला0 नं0 59/02 कोडरमा कोर्ट। कोडरमा कोर्ट। लेख्यकारी के कथनानुसार केवाला का प्रारूप तैयार किया जिसपर उभय पक्षों ने अपने अपने फोटो के साथ पाँचो अंगुलियों का निशान मेरे सामने बनाया।

बिनोद कुमार  
1/2/2018



सुमीता गुप्ता  
1-2-18



कमला कुंज  
1-2-18

